न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 02/2019

अनवान :

कृष्णकुमार पुत्र श्री हिम्मतसिंह जाति निवासी नेठराना तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. हिम्मतसिंह पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. देवराज पुत्र हिम्मतसिंह जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 25.04.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 232/210 के मु0नं0 37 के किला नं0 4 से 7, 14 से 17, 23 से 25, मु0नं0 42 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 43 के किला नं0 18 से 23 मु0नं0 44 के किला नं0 3 से 6 मु0नं0 59 के किला नं0 5 इस प्रकार खाता का कुल योग 6.072 है0 नहरी व बारानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी हिम्मतसिंह के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

चक 5 एनटीआर के खाता सं0 234/101 के मु0नं0 43 के किला नं0 6 से 13, मु0नं0 44 के किला नं0 7 से 15, इस प्रकार खाता का कुल योग 4. 301 है0 नहरी बारानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी हिम्मतसिंह के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि में चक 5 एनटीआर की दोनों खातों की भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त करते एवं लगान अदा करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0 1 को उपरोक्त भूमि अपने पिता सुरजाराम से विरासतन प्राप्त हुई है उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है, वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण कुमार के बयान करवाये गेये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम 5 एनटीआर खाता सं0 234/101 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम 5 एनटीआर खाता सं0 232/210 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 3, शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। चित्रप्रति फर्द अहकाम पत्रावली अनवान हिम्मतसिंह बनाम सुरजाराम, चित्रप्रति पर्चा डिक्री दिनांक 15.06.2018 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 5 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह को अपने पिता सुरजाराम से विरासतन प्राप्त होना व वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम 5 एनटीआर खाता सं0 234/101 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम 5 एनटीआर खाता सं0 232/210 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें पूर्व की प्रविष्टि वादी के दादा हिम्मतसिंह के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में हिम्मतसिंह के वारिसान में पत्नी कैलाश देवी व दो पुत्र कृष्ण कुमार एवं देवराज होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भादरा रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 232/210 के मु0नं0 37 के किला नं0 4 से 7, 14 से 17, 23 से 25, मु0नं0 42 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 43 के किला नं0 18 से 23 मु0नं0 44 के किला नं0 3 से 6 मु0नं0 59 के किला नं0 5 इस प्रकार खाता का कुल योग 6.072 है0 नहरी व बारानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी हिम्मतसिंह के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह के बजाय वादी कृष्ण कुमार 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 देवराज 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

इसी प्रकार चक 5 एनटीआर के खाता सं0 234/101 के मु0नं0 43 के किला नं0 6 से 13, मु0नं0 44 के किला नं0 7 से 15, इस प्रकार खाता का कुल योग 4.301 है0 नहरी बारानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी हिम्मतसिंह के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह के बजाय वादी कृष्ण कुमार 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 देवराज 1/18 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

25.4.19

(सुखाराम पिपलेल)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 02/2019

अनवान :

कृष्णकुमार पुत्र श्री हिम्मतसिंह जाति निवासी नेठराना तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. हिम्मतसिंह पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. देवराज पुत्र हिम्मतसिंह जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भादरा रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 232/210 के मु0नं0 37 के किला नं0 4 से 7, 14 से 17, 23 से 25, मु0नं0 42 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 43 के किला नं0 18 से 23 मु0नं0 44 के किला नं0 3 से 6 मु0नं0 59 के किला नं0 5 इस प्रकार खाता का कुल योग 6.072 है0 नहरी व बारानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी हिम्मतसिंह के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह के बजाय वादी कृष्ण कुमार 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 देवराज 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार चक 5 एनटीआर के खाता सं0 234/101 के मु0नं0 43 के किला नं0 6 से 13, मु0नं0 44 के किला नं0 7 से 15, इस प्रकार खाता का कुल योग 4.301 है0 नहरी बारानी मय रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी हिम्मतसिंह के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह के बजाय वादी कृष्ण कुमार 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हिम्मतसिंह 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 देवराज 1/18 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-04-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

25-4-19

(सुखाराम पिण्डेल)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.

भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ